उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

(3)

अधिहरण अपील वाद सं0 05/2019-20

मो0 सफरूद्धिन.....अपीलकर्त्ता ।

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी ।

आदेश

03.09.2021 यह अधिहरण अपील वाद प्राधिकृत -सह- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0-01/2018(W) में पारित आदेश दिनांक-27.09.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है ।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना । सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वनकर्मियों द्वारा अपीलकर्त्ता के मकान के आहते में छापामारी कर उनके मकान एवं आहते से कुल 2204 पीस चिरान लकड़ी एवं 26 गोल लकड़ी संग्रहित पाया गया जिसे वन अपराध की पुष्टि होने पर बिहार वन उत्पाद (व्यापार अधिनियम 1984) की धारा 05 के उल्लघंन तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 के उल्लघंन में धारा 52 के तहत् संग्रहित कुल 2204 पीस चिरान काष्ठ तथा 26 बोटा गोल लकड़ी को जब्त कर नोनीहाट परिसर कार्यालय प्रांगन में सुरक्षित रखा गया तथा अधिहरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई । तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता को कारण-पृच्छा का नोटिस निर्गत किया गया । उनके द्वारा दिनांक-20.04.19 को कारण-पृच्छा दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि जब्त लकड़ी चोरी का नहीं है बल्कि अपीलकर्त्ता लकड़ी का फर्नीचर का व्यवसाय करते है । जब्त लकड़ी जमाबंदी रैयत से क्रय किया गया है जिसका अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है । उनके द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जमाबंदी/रैयत से खरीदे हुए काष्ठो से संबंधित कागजात की छायाप्रति समर्पित किया परन्तु उक्त सभी काष्ठो का परिवहन अनुज्ञा संबंधी कोई भी अभिलेख (कागजात) समर्पित नहीं किया । फलतः काष्ठ के अवैध संग्रहण एवं अवैध परिवहन का वन अपराध किये जाने के फलस्वरूप कुल 2204 पीस चिरान काष्ठ एवं 26 बोटा गोल लकड़ी को जब्त किया गया ।

निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के कारण-पृच्छा को माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा SLP (crl) नं0-233/2000 दिनांक-17.08.2000 में पारित आदेश के आलोक में अस्वीकृत किया गया ।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के मकान एवं आहते से जब्त विभिन्न प्रजाति के कुल 2204 चिरान काष्ठ एवं 26 गोटा गोल लकड़ी को अवैध संग्रहण एवं परिवहन

(4)

करने के वन अपराध में भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 41 एवं 42 के उल्लंघन के आरोप में उसी अधिनियम की धारा 52 (3) में प्रदत्त शक्तियों/प्रावधानों के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा अधिहरित किया गया जो सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

232 ... 18.10.21

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:15:19 +05:30
Location: 169.254.227.244